रजिस्ट्री सं. डी.—(डी. एन.)—73

REGISTERED NO. D—(DN)—73

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 35] नई दिल्ली, शनिवार, अगस्त 30, 1986 (भाद्रपद 8, 1908)
No. 35] NEW DELHI, SATURDAY, AUGUST 30, 1986 (BHADRA 8, 1908)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

विषय सूची

	पृष्ठ
भाग I—खण्ड 1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधियां, नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं	609
भाग I—खण्ड 2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं	959
भाग I—खण्ड 3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गये संकल्पों और असांविधिक आदेशों के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं	—
भाग I—खण्ड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं	1223
भाग II—खण्ड 1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम	*
भाग II—खण्ड 1-क—अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ	*
भाग II—खण्ड 2—विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट	*
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं)	*
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं	*
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (iii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (जिनमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी में प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं)	*
भाग II—खण्ड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश	*
भाग III—खण्ड 1—उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार के संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	22337
भाग III—खण्ड 2—पेटेन्ट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटेन्टों और डिजाइनों से संबंधित अधिसूचनाएं और नोटिस	643
भाग III—खण्ड 3—मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	—
भाग III—खण्ड 4—विविध अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं	1403
भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा विज्ञापन और नोटिस	129
भाग V—अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को दिखाने वाला अनुपूरक	*

*पृष्ठ संख्या प्राप्त नहीं हुई।

1—211GI/86

CONTENTS

	PAGE
PART I—SECTION 1—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court ..	609
PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	959
PART I—SECTION 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence	—
PART I—SECTION 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence	1223
PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations	*
PART II—SECTION 1-A—Authoritative text in the Hindi Language of Acts, Ordinances and Regulations	*
PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills	*
PART II—SECTION 3—SUB-SEC. (i)—General Statutory Rules (including orders, by-laws, etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India, (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administration of Union Territories) ..	*
PART II—SECTION 3—SUB-SEC. (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administration of Union Territories	*
PART II—SECTION 3—SUB-SEC. (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by general Authorities (other than Administration of Union Territories)	*
PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence	*
PART III—SECTION 1—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India	22337
PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs	543
PART III—SECTION 3—Notification issued by or under the authority of Chief Commissioners	—
PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	1403
PART IV—Advertisements and Notices issued by Private Individuals and Private Bodies	129
PART V—Supplement showing Statistics of Birth and Deaths etc. both in English and Hindi ..	*

*Folio Nos not received

भाग I—खण्ड 1

[PART I—SECTION 1]

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(पेंशन तथा पेंशनभोगी कल्याण विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 31 जुलाई, 1986

संकल्प

सं० 41/24/86-पी० एण्ड पी० डब्ल्यू० I—राष्ट्रपति, ने यह निर्णय लिया है कि पेंशन तथा पेंशनभोगी कल्याण विभाग के लिए स्वैच्छिक अभिकरणों की एक स्थायी समिति का तत्काल गठन किया जाना चाहिए।

2. इस समिति का गठन निम्नानुसार होगा :—

1. डा० भूल चन्द
अध्यक्ष,
भारत पेंशनभोगी समाज,
नई दिल्ली।

2. श्री रिपुदमन सिंह,
वरिष्ठ उपाध्यक्ष,
भारत पेंशनभोगी समाज,
नई दिल्ली।

3. श्री एस० एस० रामचन्द्रन,
महासचिव,
अखिल भारतीय केन्द्रीय पेंशनभोगी एसोसिएशनस परिषद्,
नई दिल्ली।

4. श्री बी० जी० बाज,
महासचिव,
अखिल भारतीय डाक और तार तथा अन्य
केन्द्रीय सरकारी पेंशनभोगी एसोसिएशन,
(मुख्य केन्द्र) पुणे।

5. श्री एम० एस० हिंगे,
महासचिव,
अखिल भारतीय सेवानिवृत्त रेलवे कर्मचारी संघ,
भुसावल।

6. ब्रिगेडियर राम सिंह (सेवानिवृत्त),
अध्यक्ष,
भारतीय भूतपूर्व सैनिक लीग,
नई दिल्ली।

7. कर्नल बी० एस० पंवार (सेवानिवृत्त),
वरिष्ठ उपाध्यक्ष,
भारतीय भूतपूर्व सैनिक लीग,
नई दिल्ली।

8. मेजर जनरल बुद्ध सिंह, एम० सी० (सेवा-निवृत्त),
अध्यक्ष,
हरियाणा राज्य भूतपूर्व सैनिक लीग।

9. एयर कमोडोर एम० एम० दाण्डेकर (सेवा निवृत्त),
अध्यक्ष,
महाराष्ट्र राज्य भूतपूर्व-सैनिक लीग।

10. ब्रिगेडियर नन्द गोपाल (सेवा निवृत्त)
अध्यक्ष,
तमिलनाडु राज्य भूतपूर्व सैनिक लीग।

11. ब्रिगेडियर बी० एन० उपाध्याय पी०वी० एस० एम०
(सेवा निवृत्त),
अध्यक्ष,
बिहार राज्य भूतपूर्व-सैनिक लीग।

पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग के अपर सचिव, इस समिति के संयोजक तथा सदस्य-सचिव के रूप में कार्य करेंगे। सरकार को इस समिति के कार्य में ऐसे सरकारी सदस्यों को सहयोजित कर का अधिकार होगा जिन्हें वह समय-समय पर आवश्यक समझेगी।

2. गैर-सरकारी सदस्यों का कार्यकाल एक वर्ष का होगा।

3. यह समिति निम्नलिखित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए कार्य करेगी :—

(i) विभाग के कार्यक्रम कार्यान्वयन पर पुनर्निवेशन (फीड बैक) की व्यवस्था करना।

(ii) नीति सम्बन्धी नए उपक्रमों पर विचार-विमर्श करना तथा आलोचनात्मक रूप से उनकी जांच करना।

(iii) सरकारी कार्रवाई में सहायता करने के प्रयोजन से स्वैच्छिक प्रयासों को गतिशील बनाना।

4. समिति अपनी बैठकें आवश्यकतानुसार आयोजित करेगी।

5. समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए गैर-सरकारी सदस्यों का यात्रा भत्ता और महंगाई भत्ता अनुपूरक नियम 190 के उपबन्धों तथा उनके अन्तर्गत समय-समय पर जारी किए गए भारत सरकार के आदेशों के अनुसार विनियमित किया जाएगा।

6. संबंधित व्यय को कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय के लिए वर्ष 1986-87 की स्वीकृत बजट अनुदान में, मांग संख्या 75 के अधीन मुख्य लेखा शीर्ष, 252, ए-सचिवालय सामान्य सेवाएं, ए-1 सचिवालय, ए-1(1) कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, ए-1(1)(3) यात्रा व्यय, से पूरा किया जायेगा।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों, भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों चतुर्थ केन्द्रीय वेतन आयोग तथा अन्य सभी संबंधितों को भेजी जाए।

आई० के० रसगोत्रा, अपर सचिव

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 3 जुलाई, 1986

विषय :--वरिष्ठता के सम्बन्ध में समेकित आदेश।

कार्यालय ज्ञापन

सं० 22011/7/86-स्था० (घ)--मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि इस विभाग द्वारा, समय-समय पर ऐसे अनुदेश जारी किए गए हैं जिसमें केन्द्रीय सरकार के अधीन सेवाओं तथा पदों पर नियुक्त व्यक्तियों की वरिष्ठता का निर्धारण करने के सिद्धान्त दिए गए हैं। संदर्भ की सुविधा के उद्देश्य से उक्त विषय पर महत्वपूर्ण आदेशों को इस कार्यालय ज्ञापन में समेकित कर दिया गया है। मूल पत्र की संख्या तथा तारीख को हाशिए में दिया गया है ताकि उपयोगकर्ता उस संदर्भ को अच्छी तरह समझ सके जिसमें विचाराधीन आदेश जारी किया गया था।

सीधी भर्ती तथा पदोन्नत व्यक्तियों की वरिष्ठता :

गृह मंत्रालय का दिनांक 22-12-59 का का० ज्ञा० सं० 9/11/55-आर० पी० एस०

2.1 सीधी भर्ती वाले सभी व्यक्तियों की सापेक्ष वरिष्ठता उसी योग्यताक्रम में निर्धारित की जाती है, जिस क्रम में वे संघ लोक सेवा आयोग अथवा किसी चयन प्राधिकारी की सिफारिश पर ऐसी नियुक्ति के लिए चुने जाते हैं और पहले के किसी चयन के आधार पर नियुक्त किए गए व्यक्ति बाद के चयन के परिणामस्वरूप नियुक्त किए गए व्यक्तियों से वरिष्ठ होंगे।

2.2 जहां विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा चयन के आधार पर पदोन्नतियां की जाती हैं तो ऐसे पदोन्नत व्यक्तियों की वरिष्ठता उसी क्रम में रखी जाएगी जिसमें समिति द्वारा ऐसी पदोन्नति के लिए उनकी सिफारिश की गई है। जहां पदोन्नतियां वरिष्ठता के आधार पर किन्तु अयोग्य को अस्वीकार किए जाने की शर्त पर की जाती हैं तो एक ही साथ पदोन्नति के लिए उपयुक्त समझे गए व्यक्तियों की वरिष्ठता निम्न ग्रेड में जिससे उनकी पदोन्नति हुई है उनकी सापेक्ष वरिष्ठता के अनुसार होगी। किन्तु जब किसी व्यक्ति को पदोन्नति के लिए अयोग्य समझा गया है तथा कनिष्ठ कर्मचारी द्वारा अधिक्रमित हुआ और ऐसा व्यक्ति यदि बाद में उपयुक्त पाया गया है तथा पदोन्नत हो जाता है तो उच्च ग्रेड में अपने से कनिष्ठ ऐसे व्यक्तियों से जिन्होंने उसे अधिक्रमित किया हो वरिष्ठ नहीं होगा।

2.3 जहां प्रारम्भ में अस्थायी आधार पर पदोन्नत व्यक्ति बाद में उसकी नियुक्ति के समय निर्दिष्ट योग्यताक्रम से भिन्न क्रम में स्थायी किए जाते हैं तो उसकी वरिष्ठता स्थायीकरण के क्रम से होगी न कि योग्यता के मूल क्रम में।

2.4.1 सीधी भर्ती के कर्मचारियों तथा पदोन्नत कर्मचारियों की सापेक्ष वरिष्ठता सीधी भर्ती के कर्मचारियों तथा पदोन्नत कर्मचारियों के बीच रिक्तियों की अदला-बदली के अनुसार निर्धारित की जाएगी जो भर्ती नियमों से क्रमशः सीधी भर्ती के कर्मचारियों तथा पदोन्नति वाले कर्मचारियों के लिए आरक्षित रिक्तियों के कोटे पर आधारित होगी।

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग का दिनांक 7-2-86 का० ज्ञा० सं० 35014/2/80-स्था० (घ)।

2.4.2 यदि किसी वर्ष विशेष में सीधी भर्ती के कर्मचारी पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं हो पाते हैं तो वरिष्ठता के निर्धारण के उद्देश्य से कोटा की अदला-बदली केवल उसी सीमा तक लागू होगी जिस सीमा तक सीधी भर्ती के अधिकारी तथा पदोन्नत अधिकारी उपलब्ध हैं। दूसरे शब्दों में सीधी भर्ती के उपलब्ध कर्मचारियों की संख्या में जितनी कमी रह जाती है उसकी पूर्ति के लिए सीधी भर्ती के जितने अधिकारी वस्तुतः उपलब्ध होते हैं उनकी संख्या के संदर्भ में कोटे की अदला-बदली के आधार पर वरिष्ठता सूची के जिस अन्तिम स्थान तक वरिष्ठता का निर्धारण किया जाना संभव है, पदोन्नत अधिकारियों को सामूहिक रूप से उसके बाद रख दिया जाएगा। किन्तु सीधी भर्ती के कोटे की खाली रिक्तियों को अग्रेनीत किया जाएगा तथा सीधी भर्ती की कुल रिक्तियों के लिए कार्रवाई करने के प्रयोजन से सामान्य परिपाटी के अनुसार अगले वर्ष (तथा बाद के वर्षों के लिए जहां आवश्यक हो) तदनुरूपी सीधी भर्ती की रिक्तियों में जोड़ दिया जाएगा। इसके पश्चात यद्यपि उस वर्ष में सीधी भर्ती और पदोन्नत अधिकारियों की पारस्परिक वरिष्ठता का निर्धारण उस वर्ष के कोटे के अनुसार सीधी भर्ती और पदोन्नत अधिकारियों के लिए नियत की गई रिक्तियों की संख्या की सीमा तक किया जाएगा तो भी पिछले वर्ष से अग्रेनीत की गई रिक्तियों के लिए चुने गये सीधी भर्ती वाले अतिरिक्त अधिकारियों को सामूहिक रूप से उस वर्ष के लिए रिक्तियों की अदला-बदली पर आधारित वरिष्ठता सूची में सबसे अन्तिम पदोन्नत अधिकारी (अथवा स्थिति अनुसार सीधी भर्ती के अधिकारियों) के नीचे रखा जाएगा, यही सिद्धांत बाद के वर्ष (वर्षों) में सीधी भर्ती अथवा पदोन्नति कोटा रिक्तियों (जैसा भी मामला हो) की अग्रेनीत रिक्तियां यदि कोई हों, के मामले में वरिष्ठता के निर्धारण के लिए लागू होगा।

उदाहरण :

जहां भर्ती नियमों में किसी ग्रेड में 50 प्रतिशत रिक्तियां पदोन्नति द्वारा तथा बाकी 50 प्रतिशत रिक्तियां सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने की व्यवस्था है तथा मान लीजिए कि प्रत्येक वर्ष 1986 तथा 1987 में ग्रेड में 10 रिक्तियां खाली होती हैं तथा सीधी भर्ती के लिए नियम 2 रिक्तियां वर्ष 1986 के दौरान खाली रह जाती हैं और उन्हें वर्ष 1987 के दौरान भरा जाता है तो इन दो वर्षों के पदोन्नत अधिकारियों तथा सीधी भर्ती के अधिकारियों की पारस्परिक वरिष्ठता निम्नानुसार होगी :--

	1986	
1.	पदोन्नत	1
2.	सीधी भर्ती	1
3.	पदोन्नत	2
4.	सीधी भर्ती	2
5.	पदोन्नत	3
6.	सीधी भर्ती	3
7.	पदोन्नत	4
8.	पदोन्नत	5
	1987	
9.	पदोन्नत	1
10.	सीधी भर्ती	1
11.	पदोन्नत	2
12.	सीधी भर्ती	2
13.	पदोन्नत	3
14.	सीधी भर्ती	3
15.	पदोन्नत	4
16.	सीधी भर्ती	4
17.	पदोन्नत	5
18.	सीधी भर्ती	5
19.	सीधी भर्ती	6
20.	सीधी भर्ती	7

2.4.3 किसी वर्ष के दौरान, भर्ती की प्रत्येक निर्धारित पद्धति के माध्यम से भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या निर्धारित करने में नियोक्ता प्राधिकारियों की मदद करने के लिए वर्षानुवर्ष होने वाली रिक्तियों तथा भरी जाने वाली रिक्तियों को क्रमवार ब्यौरे दर्शाने वाला एक रिक्ति रजिस्टर, संलग्न प्रपत्र में बनाया जाए।

2.4.4 सीधी भर्ती के लिए संबंधित प्राधिकारियों को सूचित की जाने वाली रिक्तियों को कम बताने/छिपाने की किसी भी प्रवृत्ति पर रोक लगाने के उद्देश्य से यह स्पष्ट किया जाता है कि पदोन्नत अधिकारियों को केवल उसी सीमा तक नियमित माना जाएगा जिस सीमा तक, भर्ती प्राधिकारियों को संगत भर्ती नियमों में निर्धारित कोटे के आधार पर सीधी भर्ती की रिक्तियां

सूचित की जाती हैं। सीधी भर्ती के लिए सूचित की गई तदनुसारी रिक्तियों के आधार पर पदोन्नति कोटे के हिस्से में आने वाली रिक्तियों से अधिक पदोन्नत अधिकारियों को, यदि कोई होंगे, केवल तदर्थ रूप में पदोन्नत अधिकारी माना जाएगा।

6. स्थानान्तरित व्यक्तियों की वरिष्ठता :

गृह मंत्रालय का दिनांक 22-12-59 का का० ज्ञा० सं० 9/11/55-आर० पी० एस०।

3.1 केन्द्रीय सरकार के अधीनस्थ कार्यालयों अथवा केन्द्रीय अथवा राज्य सरकार के अन्य विभागों से केन्द्रीय सेवा में स्थानान्तरण द्वारा, नियुक्त व्यक्तियों की सापेक्ष वरिष्ठता ऐसे स्थानान्तरण के लिए उनके चयन के क्रम में निर्धारित की जायेगी।

3.2 जहां ऐसे स्थानान्तरण भर्ती नियमों में निर्धारित विशिष्ट कोटे के लिए किए जाते हैं वहां सीधी भर्ती वाले कर्मचारियों अथवा पदोन्नत कर्मचारियों की तुलना में ऐसे स्थानान्तरित कर्मचारियों की वरिष्ठता रिक्तियों की अदला-बदली के अनुसार निर्धारित की जायेगी जो भर्ती नियम में क्रमशः स्थानान्तरण, सीधी भर्ती तथा पदोन्नति के लिए आरक्षित कोटे पर आधारित होंगी। जहां किसी कोटे अथवा किन्हीं कोटों में रिक्तियां अग्रनीत की जाती हैं, वहां, नियुक्त किए गए व्यक्तियों की परस्पर वरिष्ठता के निर्धारण के लिए पैरा 2.4.2 में उल्लिखित सिद्धान्त यथा आवश्यक परिवर्तनों के साथ लागू किए जाएंगे।

3.3 जहां कोई व्यक्ति, भर्ती नियमों के उस उपबन्ध के अनुसार स्थानान्तरण पर नियुक्त किया जाता है जिसमें सीधी भर्ती द्वारा अथवा पदोन्नति द्वारा उपयुक्त उम्मीदवारों के उपलब्ध न होने की स्थिति में स्थानान्तरण पर, नियुक्त किए जाने की व्यवस्था है, तो ऐसे स्थानान्तरित व्यक्तियों को स्थिति के अनुसार सीधी भर्ती वाले अथवा पदोन्नत व्यक्तियों, समूह में मिला दिया जाएगा। उनका रैंक उसी अवसर पर चुने गए सभी सीधी भर्ती वाले व्यक्तियों अथवा पदोन्नत व्यक्तियों, जैसा भी मामला हो, के नीचे रखा जाएगा।

का० तथा प्रशिक्षण विभाग का दि० 29-5-86 का का० ज्ञा० संख्या 22020/7/80-स्था (घ)

3.4.1. ऐसे किसी व्यक्ति के मामले में जिसे प्रारम्भ में प्रतिनियुक्ति के आधार पर लिया जाता है और बाद में उसे अन्तर्लयित कर लिया जाता है (अर्थात् जहां संगत भर्ती नियमों में "प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण/स्थानान्तरण" के लिए व्यवस्था हो) जिस ग्रेड में उसे अंतर्लयित किया गया है, उस ग्रेड में उसकी वरिष्ठता साधारणतया अन्तर्लयन की तारीख से गिनी जाएगी। फिर भी यदि वह (अन्तर्लयन की तारीख को) अपने मूल विभाग में स्थायी आधार पर उसी ग्रेड में अथवा उसके समकक्ष ग्रेड में पहले ही से कार्य कर रहा हो तो ऐसी स्थिति में उसकी वरिष्ठता निर्धारित करते समय उस ग्रेड में की गई ऐसी सेवा को भी हिसाब में लिया जाएगा, किन्तु शर्त यह है कि उसे वरिष्ठता उस तारीख से जिससे वह प्रतिनियुक्ति पर उस पद पर कार्य कर रहा हो,

अथवा

उस तारीख से जिस तारीख से उसे अपने मूल विभाग में उसी ग्रेड में अथवा उसके समकक्ष ग्रेड में नियमित आधार पर नियुक्त किया गया हो, इस में से जो भी बाद में हो।

3.4.2 फिर भी, किसी स्थानान्तरित व्यक्ति की वरिष्ठता का निर्धारण उपर्युक्त सिद्धान्त के अनुसार किए जाने से ऐसे अन्तर्लयन की तारीख से पहले, अगले उच्चतर ग्रेड में की हुई किसी नियमित पदोन्नति पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। दूसरे शब्दों में यह सिद्धान्त ऐसे अन्तर्लयन के पश्चात उच्चतर ग्रेड में रिक्तियों को भरते समय ही लागू होगा।

3.5 जिन मामलों में स्थानान्तरण सर्वथा लोक हित में नहीं होते, उनमें स्थानान्तरित अधिकारियों, को उन सभी अधिकारियों से नीचे रखा जाएगा जिन्हें अन्तर्लयन की तारीख को उसी ग्रेड में नियमित रूप से नियुक्त किया गया था।

विशेष प्रकार के मामलों में वरिष्ठता :

गृह मंत्रालय का दि० 10-7-54 का का० ज्ञा० सं० 37/1/52-डी० जी० एस० दि० 29-9-56 का का० ज्ञा० संख्या 13/4/56-आर० पी० एस० तथा दि० 14-7-58 का का० ज्ञा० सं० 13/4/57-आर० पी० एस० गृह मंत्रालय का दि० 10-10-62 का का० ज्ञा० सं० 9/13/62-स्था० (घ) तथा दि० 7-2-64 का का० ज्ञा० सं० 9/30/63-स्था० (घ)।

4.1 क्षय (टी० बी०) अथवा फेफड़ों की सूजन (प्लूसी), कुष्ठ रोग से प्रभावित ऐसे पुराने रोगियों के मामले में जो रोग संक्रमण की दृष्टि से प्रभावहीन तथा सरकारी सेवा के लिए डाक्टरी तौर पर योग्य घोषित कर दिए गए हैं यदि उन्हें उन्हीं पदों पर पुनर्नियुक्त किया जाता है जहां से उन्हें कार्यमुक्त किया गया था, तो वरिष्ठता के प्रयोजन के लिए उनके द्वारा वस्तुतः की गई पिछली सेवा जोड़ी जानी चाहिए। अन्य पदों पर पुनर्नियुक्त किए गए ऐसे व्यक्तियों की वरिष्ठता कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के परामर्श से निर्धारित की जाएगी।

4.2.1 निम्न सेवा, ग्रेड अथवा पद अथवा किसी निम्न समय-वेतनमान में पदावनयन की शास्ति के किसी आदेश में हर हालत में यह निर्दिष्ट किया जाना चाहिए :—

(i) पदावनयन की अवधि, जब तक स्पष्ट रूप से इस आशय का हरावा न हो कि पदावनयन स्थायी अथवा अनिश्चित काल के लिए, होगा,

(ii) क्या ऐसी पुनः पदोन्नति होने पर, सरकारी कर्मचारी उच्च सेवा, ग्रेड अथवा पद अथवा उच्च समय वेतनमान में अपनी मूल वरिष्ठता जोकि उसे शास्ति के लगाए जाने से पहले दी गई थी, पुनः प्राप्त करेगा।

4.2.2. उन मामलों में जहां पदावनयन विशिष्ट अवधि के लिए है तथा भावी वेतन वृद्धियों को मुल्तवी करने के लिए लागू नहीं है, वहां सरकारी कर्मचारी की वरिष्ठता जब तक कि दण्ड के आदेश में अन्यथा कोई व्यवस्था न की गई हो, उच्चतर सेवा, ग्रेड अथवा पद अथवा उच्चतर वेतनमान में वही होगी जोकि उसको मूलतः प्राप्त होती बशर्ते कि उसका पदावनयन न किया गया होता।

4.2.3. जहां पदावनयन किसी विशिष्ट अवधि के लिए है तथा भावी वेतन वृद्धियों को मुल्तवी करने के लिए लागू है वहां सरकारी कर्मचारी की पुनः पदोन्नति होने पर, उसकी वरिष्ठता, जब तक कि दण्ड के आदेश में अन्यथा कोई व्यवस्था न की गई हो, को उसके द्वारा उच्च सेवा ग्रेड अथवा पद अथवा उच्च समय वेतनमान में उसके द्वारा की गई सेवा, की अवधि को गिन कर निर्धारित की जानी चाहिए।

गृह मंत्रालय का दि० 25-2-66 का का० ज्ञा० सं० 3/27/65-के० से० (II) तथा दि० 6-2-69 का का० ज्ञा० सं० 9/22/68-स्था० (घ)।

4.3.1 अधिशेष कर्मचारी नए संगठन में अपनी वरिष्ठता के प्रयोजन के लिए पिछले संगठन में की गई अपनी पिछली सेवा के लाभ के हकदार नहीं है। वरिष्ठता, पदोन्नति आदि के विषय में ऐसे कर्मचारियों को नए सदस्यों के रूप में माना जाता है।

4.3.2 जब कभी किसी कार्यालय के किसी ग्रेड विशेष के दो या उससे अधिक अधिशेष कर्मचारी किसी अन्य कार्यालय में, एक ही ग्रेड में, भिन्न-भिन्न तारीखों को संविलियन के लिए चुने जाते हैं तो बाद वाले कार्यालय में उनकी पारस्परिक वरिष्ठता वही होगी जोकि उनके पिछले कार्यालय में थी, बशर्ते कि :—

(i) इन तारीखों की बीच की अवधि के दौरान उस ग्रेड में नियुक्ति के लिए सीधी भर्ती द्वारा किसी अधिकारी का चयन न कर लिया गया हो, और

(ii) नए कार्यालय में यदि संबंधित ग्रेड में सीधी भर्ती तथा पदोन्नति के लिए कोई कोटा निर्धारित नहीं है, और उस ग्रेड में, इन तारीखों की बीच की अवधि के दौरान, किसी पदोन्नत अधिकारी का नियुक्ति के लिये अनुमोदन न किया गया हो।

4.3.3 जब किसी कार्यालय के किसी ग्रेड विशेष के दो या उससे अधिक अधिशेष कर्मचारी किसी अन्य कार्यालय में एक ही ग्रेड में पुनर्नियोजन के लिए एक साथ चुन लिए जाते हैं, तो बाद वाले कार्यालय में उनके पुनर्नियोजन पर, उस ग्रेड विशेष में, उनकी पारस्परिक वरिष्ठता वही होगी जो कि उनके पिछले कार्यालय में थी।

4.3.4 उपर्युक्त आदेश उन कार्मिकों के सम्बन्ध में लागू नहीं होंगे जिन्हें संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों के आधार पर ऐसे पदों पर/सेवाओं में नियुक्त किया जाता है जिन पर कि भर्ती आयोग के माध्यम से की जाती है। आयोग की सिफारिशों के आधार पर नियुक्त अधिशेष अधिकारियों की वरिष्ठता आयोग के परामर्श से गुणावगुण के आधार पर तय की जायेगी।

5 अनुरोध है कि इन अनुदेशों को सूचना मार्गदर्शन तथा अनुपालन के लिए सभी प्रशासनिक प्राधिकारियों की जानकारी में ला दिया जाए।

के० एस० आर० कृष्णा राव, उप सचिव

रिक्ति रजिस्टर

	1986	1987	1988 आदि
1. वर्ष के दौरान होने वाली कुल रिक्तियों की संख्या			
2. सीधी भर्ती द्वारा :			
(i) भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या			
(क) वर्ष की रिक्तियां (निर्धारित कोटे के अनुसार)			
(ख) पिछले वर्ष (वर्षों) से अग्रेनीत रिक्तियां			
(ग) जोड़			
(ii) वास्तविक रूप से भरी गई रिक्तियों की संख्या			
(iii) अग्रेनीत रिक्तियों की संख्या			
3. पदोन्नति द्वारा :			
(i) भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या :			
(क) वर्ष की रिक्तियां (निर्धारित कोटे के अनुसार)			
(ख) पिछले वर्ष (वर्षों) से अग्रेनीत की गई रिक्तियां			
(ग) जोड़			
(ii) वास्तविक रूप से भरी गई रिक्तियों की संख्या			
(iii) अग्रेनीत रिक्तियों की संख्या			

टिप्पणी 1. ऊपर उल्लिखित भर्ती के तरीके मात्र उदाहरणार्थ हैं, इस रजिस्टर में संबंधित भर्ती नियमावली में निर्धारित भर्ती के तरीके बताये जाएंगे।

टिप्पणी 2. ऐसे संवर्गों में जिनमें कि निर्धारित कोटे के अनुसार विभाजन के योग्य वार्षिक रिक्तियों की संख्या काफी मात्रा में है, केवल इस रजिस्टर का रखा जाना ही काफी समझा गया है तथापि छोटे-छोटे संवर्गों में जहां होने वाली रिक्तियों की संख्या विरल है तथा वर्ष में एक या दो हैं, नियुक्ति प्राधिकारियों को आजकल की ही तरह भर्ती रोस्टर रखना पड़ सकता है जिससे कि इस बात का संकेत मिल सके कि किसी रिक्ति विशेष को किस पद्धति के अधीन भरा जाना है।

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 23 जुलाई, 1986

संकल्प

सं० जे०-13013/2/85-सामान्य—इस मंत्रालय के 9 जुलाई 1985 के संकल्प संख्या जे०-13013/2/85-सामान्य के अतिक्रमण में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के लिए पर्यावरणीय आयोजन और समन्वय समिति का गैस प्रकार पुनर्गठन किया गया है:—

1.	श्री परितोष सी० त्यागी अध्यक्ष, जल के प्रदूषण की रोकथाम तथा नियंत्रण के लिए केन्द्रीय बोर्ड, छठी मंजिल, स्काई लार्क बिल्डिंग, 60, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली-19	संयोजक
2.	डा० निलय चौधरी, भूतपूर्व अध्यक्ष, जल के प्रदूषण की रोकथाम तथा नियंत्रण के लिए केन्द्रीय बोर्ड, नई दिल्ली।	सदस्य
3.	डा० पी० के० रे, निदेशक इंडस्ट्रियल विष-विज्ञान अनुसंधान केन्द्र, लखनऊ।	—तदैव—
4.	डा० सी० के० वार्ष्णेय, एसोसिएट प्रोफेसर, स्कूल आफ एनवायरमेंटल साइंस, जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली।	—तदैव—
5.	डा० ए० के० गांगुली, हर्षनाथ, 1 सरस बाग, देवनार, बम्बई-400088	—तदैव—
6.	श्री श्याम चैनानी, अवैतनिक सचिव, बम्बई पर्यावरण कार्यकारी दल, बम्बई।	सदस्य
7.	श्री टी० आर० सारानाथन, सोक्सीम, बम्बई।	—तदैव—
8.	निदेशक, राष्ट्रीय पर्यावरणीय इंजीनियरी अनुसंधान संस्थान, नागपुर।	—तदैव—
9.	श्री डी० के० बिस्वास, निदेशक, पर्यावरण विभाग, नई दिल्ली।	—तदैव—
10.	श्री एस० के० दास, महानिदेशक, मौसम विज्ञान, नई दिल्ली।	—तदैव—

11. प्रोफैसर ए० आर० जफर, —तदैव—
वनस्पति-विज्ञान के प्रोफैसर,
उसमानिया विश्वविद्यालय,
हैदराबाद-500007

12. अध्यक्ष, —तदैव—
ऊर्जा पर परामर्शदात्री बोर्ड
नई दिल्ली।

2. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सचिव, संयुक्त सचिवों तथा सलाहकारों को समिति की बैठकों में स्थायी रूप से आमंत्रित किया जायेगा। संयोजक समिति की बैठक में भाग लेने के लिए अथवा समिति को सहायता देने के लिए किसी अन्य व्यक्ति/व्यक्तियों को भी आमंत्रित कर सकता है।

3. समिति के संवर्भित विषय निम्नलिखित होंगे :—

"पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की योजनाओं एवं कार्यक्रमों के लिए पर्यावरणीय आयोजन के सभी पहलुओं पर परामर्श देना।"

4. समिति के सदस्यों को किसी प्रकार का पारिश्रमिक नहीं दिया जायेगा। तथापि, गैर-सरकारी सदस्यों के यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते पर होने वाला खर्च भारत सरकार द्वारा किया जायेगा। सरकारी अधिकारियों/केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के प्रतिनिधियों को यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते को संबंधित विभागों/उपक्रमों द्वारा पूरा किया जायेगा। समिति पर होने वाला खर्च तेल उद्योग विकास बोर्ड द्वारा वहन किया जायेगा

5. समिति की अवधि इस संकल्प की तारीख से 2 वर्ष की अवधि के लिए होगी। समिति की बैठकें आवश्यकतानुसार अक्सर होती रहेंगी और समिति भारत सरकार को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में समय-समय पर उपयुक्त सिफारिश देगी।

6. समिति के लिए आवश्यक सचिवालय सहायता पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति सभी राज्य सरकारों, संघ शासित प्रदेश प्रशासनों, लोक सभा तथा राज्य सभा सचिवालयों एवं भारत सरकार के संबंधित मंत्रालयों तथा विभागों को भेजी जाये।

यह भी आदेश दिया जाता है कि सामान्य सूचनार्थ इस संकल्प को भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित किया जाये।

टी० एन० आर० राव०, संयुक्त सचिव

उद्योग मंत्रालय
(औद्योगिक विकास विभाग)
नई दिल्ली, दिनांक 4 अगस्त, 1986

शुद्धि पत्र

(इस्पात की ढली हुई वस्तु उद्योग हेतु नामिका का गठन)

सं० 13026(41)/84-ई० आई० एम०—इस्पात की ढली हुई वस्तु उद्योग हेतु नामिका का गठन करने सम्बन्धी इस मंत्रालय के संकल्प दिनांक 17-1-1985 में आंशिक संशोधन करते हुए क्रमांक 1 में उल्लिखित श्री एस० सी० ढींगरा के स्थान पर नामिका के अध्यक्ष के रूप में इस विभाग के एक संयुक्त सचिव, श्री ए० वी० गोकक को नियुक्त किया जाता है। उपयुक्त संकल्प को निम्नलिखित के अनुसार संशोधित समझा जाए :—

निम्नलिखित के स्थान पर

1. श्री एस० सी० ढींगरा,
सलाहकार (तकनीकी) एवं पदेन संयुक्त सचिव,
भारी उद्योग विभाग,
उद्योग मंत्रालय,
नई दिल्ली।

निम्नलिखित पढ़ें

श्री ए० वी० गोकक,
संयुक्त सचिव,
(औद्योगिक विकास विभाग)
उद्योग मंत्रालय,
नई दिल्ली।

विमला गुप्ता, अवर सचिव

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय,
(परिवार कल्याण विभाग)
नई दिल्ली, दिनांक 29 जुलाई, 1986

शुद्धि पत्र

सं० आर० 17011/34/85-सी० एंड जी०- तारीख 17 जून 1986 के संकल्प सं० आर० 17011/34/85-सी० एंड जी० में क्रम "संख्या 6 पर" डा० (कु०) रजनी बहन" नाम के स्थान पर कृपया "डा० (कु०) रागिनी बहन" पढ़ा जाए।

2. उक्त संकल्प की क्रम संख्या 8 और 11 की प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए :—

क्रम सं० 8	श्रीमती रामी छाबड़ा, सलाहकार (जन प्रचार एवं संचार) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय	पदेन सदस्य
क्रम सं० 11	श्री पालाट मोहन दास, संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय	संयोजक एवं सदस्य सचिव

आदेश

आदेश किया जाता है कि उक्त शुद्धि पत्र की प्रतिलिपि सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को भेजी जाए तथा इस शुद्धि पत्र को सर्वसाधारण की सूचना के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

पालाट मोहनदास, संयुक्त सचिव

मानव संसाधन विकास मंत्रालय
संस्कृति विभाग
नई दिल्ली-110011, दिनांक 23 जुलाई, 1986

(पुरातत्व)

सं० 23/27/82-ई०-मट्टनचेरी महल, कोचीन में पुरातत्व संग्रहालय शुक्रवार को छोड़ कर शेष सभी दिनों सुबह 10.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक जनता के लिए खुला रहेगा। ये आदेश 1/9/86 से लागू होंगे।

एम० एस० नागराजराव,
महानिदेशक

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण

नई दिल्ली-110011, दिनांक 1 अगस्त, 1986

सं० 10/3/86-स्मा०—प्राचीन संस्मारक पुरातत्वीय स्थल एवं अवशेष नियमावली 1959 के नियम 4 के अधीन प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, मैं, महेश्वरी दयाल खरे, निदेशक (संस्मारक), यह निर्देश जारी करता हूं कि पुरातत्वीय क्षेत्र, लाल किला, दिल्ली पर्यटकों के लिए 13 और 14 अगस्त, 1986 को पूरे दिन और 15 अगस्त, 1986 को 12 बजे तक बन्द रहेगा।

महेश्वरी दयाल खरे, निदेशक (संस्मारक)

शहरी विकास मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 17 जुलाई 1986

संकल्प

विषय :—शहरी विकास मंत्रालय की वैज्ञानिक सलाहकार समिति का गठन।

सं० एफ०-20016/5/86-समन्वय—सरकार ने शहरी विकास मंत्रालय के लिए वैज्ञानिक सलाहकार समिति के गठन का अनुमोदन कर दिया है जिसके सदस्यगण इस प्रकार हैं :—

1. श्री रमेश चन्द्र, सचिव, शहरी विकास मंत्रालय, नई दिल्ली। — अध्यक्ष
2. डा० आर० के० भण्डारी, निदेशक, केन्द्रीय भवन अनुसंधान संस्थान, रुड़की-247667 (उ० प्र०) — सदस्य
3. श्री के० आर० बुलुसु, निदेशक (कार्यवाहक) राष्ट्रीय पर्यावरणीय अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान, नेहरू मार्ग, नागपुर-440020 — सदस्य
4. डा० एस० पी० शर्मा, निदेशक, संरचनात्मक अभियांत्रिकी अनुसंधान केन्द्र, रुड़की (उ० प्र०) — सदस्य
5. श्री जी० एस० राव, महानिदेशक, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, निर्माण भवन, नई दिल्ली-110011 — सदस्य
6. सदस्य (इंजीनियरिंग) दिल्ली विकास प्राधिकरण, नई दिल्ली — सदस्य
7. श्री ई० एफ० एन० रिबेरो, मुख्य आयोजक, नगर तथा ग्राम नियोजन संगठन, आई० पी० इस्टेट, नई दिल्ली-110002 — सदस्य
8. श्री वी० वेणुगोपालन, सलाहकार, केन्द्रीय लोक स्वास्थ्य तथा पर्यावरणीय इंजीनियरी संगठन, शहरी विकास मंत्रालय, निर्माण भवन नई दिल्ली — सदस्य
9. श्री जी० सी० माथुर, निदेशक, राष्ट्रीय भवन (निर्माण) संगठन, निर्माण भवन, नई दिल्ली — सदस्य सचिव तथा संयोजक

2. समिति के कार्यकलाप निम्न प्रकार होंगे :—

(i) मंत्रालय के एकीकृत और समन्वित वैज्ञानिक तथा प्रौद्योगिकीय कार्यक्रमों के विकास पर सलाह देना और मंत्रालय के क्रिया-कलापों से संबंधित अनुसंधान और विकास संस्थानों तथा प्रयोग कर्ताओं के बीच एक सुव्यवस्थित अन्तः कार्यवाही के लिये प्रयास करना।

(ii) वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकीय अनुसंधान में स्वदेशी दक्षताओं के विकास के लिए नीतियों और कार्यक्रमों पर सलाह देना।

(iii) मंत्रालय के कार्य से संबंधित क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी के उन्नयन के लिये अल्पावधि और दीर्घावधि उद्देश्य और योजनाएं तैयार करना।

(iv) प्रौद्योगिकी संविलयन और अनुकूलन और सुनियोजित तरीके से सुधार करने के उपायों पर सलाह देना।

(v) उन प्रौद्योगिकीय निवेश पर सलाह देना जिनसे मंत्रालय से संबंधित क्षेत्रों में उत्पादकता, गुणवत्ता और उत्पादकताओं अथवा सेवाओं की विश्वसनीयता में सुधार हो और लागतों में कमी हो।

(vi) संस्थानों और अन्वेषकों को वैज्ञानिक अनुसंधान और प्रौद्योगिकी विकास के लिये विशिष्ट समर्थन जहां सम्भव हो, की सिफारिश करना।

(vii) विज्ञान और प्रौद्योगिकी से सम्बद्ध उन अन्य मामलों की जांच करना है जिन्हें सरकार द्वारा सलाह के लिये समिति को भेजा जाये।

3. समिति के सदस्यों का कार्यकाल संकल्प के जारी होने की तिथि से दो वर्ष की अवधि के लिए होगा। सरकारी सदस्य उस समय तक समिति के सदस्य रहेंगे जब तक वे अपने संबंधित पदों पर रहते हैं।

4. यह समिति अपने कार्यकरण को नियमित करने और अपने कार्य-कलापों को प्रभावी रूप से निभाने के लिए स्वयं अपनी पद्धतियां तैयार करेगी। समिति की बैठक प्रायः आवश्यकता पड़ने पर होंगी और यह समिति विशिष्ट मसलों की जांच करने तथा उन पर रिपोर्ट देने और समय-समय पर उपयुक्त सिफारिशें करने हेतु उप-समितियां भी गठित कर सकेगी।

5. समिति के सदस्यों को कोई पारिश्रमिक नहीं दिया जायेगा। तथापि, समिति के कार्य के संबंध में गैर-सरकारी सदस्यों के यात्रा भत्ते और दैनिक भत्ते पर किया गया खर्च मंत्रालय के बजट से वहन किया जायेगा और उसको संगठन नियमों के अनुसार विनियमित किया जायेगा। इस प्रयोजनार्थ सदस्यों को भारत सरकार के ग्रेड-1 के अधिकारियों के रूप में माना जायेगा। सरकारी सदस्यों के यात्रा भत्तों और दैनिक भत्तों की पूर्ति उन विभागों/संस्थानों, जहां वे कार्यरत हैं, के बजट से की जायेगी।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि संकल्प की एक प्रति सभी राज्य सरकारों, संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों, लोक सभा और राज्य सभा सचिवालयों और भारत सरकार से संबंधित मंत्रालयों और विभागों को भेजी जाये।

यह भी आदेश दिया जाता है कि आम जानकारी के लिए इस संकल्प को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाये।

श्री ज्योत्सना खन्ना, संयुक्त सचिव

श्रम मंत्रालय,

नई दिल्ली, तारीख 5 अगस्त 1986

सं० क्यू०-16011/3/85-डब्ल्यू० ई०—केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड के नियमों और विनियमों के नियम 4 (iii) के साथ पठित नियम 3 (ii) के अनुसरण में, भारत सरकार श्री एम० एल० मजूमदार, संयुक्त सचिव वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) भारत सरकार के स्थान पर श्रीमती जानकी कठपालिया, संयुक्त सचिव, वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग), भारत सरकार को 8 जुलाई, 1986 से केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड के सदस्य के रूप में नियुक्त करती है।

2. तदनुसार श्रम मंत्रालय में दिनांक 8/15 मई, 1981 की अधिसूचना संख्या क्यू०-16012/3/79-डब्ल्यू० ई० में, जिसमें समय-समय पर संशोधन किया गया, निम्नलिखित परिवर्तन किए जाएंगे :—

वर्तमान प्रविष्टि के स्थान पर अर्थात् :—

"1. श्री एम एल० मजूमदार,
संयुक्त सचिव,
वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग),
भारत सरकार,
नई दिल्ली।"

निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाए :—

"1. श्रीमती जानकी कठपालिया,
संयुक्त सचिव,
वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग),
भारत सरकार,
नई दिल्ली।"

सं०-क्यू०-16011/3/85-डब्ल्यू० ई०—केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड के नियमों और विनियमों के नियम 8 के अनुसरण में भारत सरकार श्री एम० एल० मजूमदार, संयुक्त सचिव, वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग), भारत सरकार के स्थान पर श्रीमती जानकी कठपालिया, संयुक्त सचिव, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार को 8 जुलाई, 1986 से केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड के शासी निकाय के सदस्य के रूप में नामित करती है।

आर० एन० पुरी, उप सचिव

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS
(DEPARTMENT OF PENSION & PENSIONERS' WELFARE)
RESOLUTION

New Delhi, the 31st July 1986

No. 41/24/86-P&PW.—The President has been pleased to decide that a Standing Committee of Voluntary Agencies for the Department of Pension & Pensioners' Welfare should be constituted with immediate effect.

2. The composition of this Committee will be as under :—

1. Dr. Bhool Chand
President,
Bharat Pensioners Samaj,
New Delhi.
2. Shri Ripudaman Singh,
Senior Vice President,
Bharat Pensioners Samaj,
New Delhi.
3. Shri S. S. Ramachandran,
Secretary General,
All India Central Council of
Pensioners' Associations,
New Delhi.
4. Shri B. G. Vaze,
General Secretary,
All India P&T & Other Central
Government Pensioners' Association,
(Main Centre),
Pune.
5. M. S. Hinge,
General Secretary,
All India Retired Railwaymen's,
Federation,
Bhusaval.
6. Brig. Ram Singh (Retd.),
President,
Indian Ex-Services League,
New Delhi.
7. Col. B. S. Panwar (Retd.),
Senior Vice President,
Indian Ex-Services League,
New Delhi.
8. Maj Gen. Budh Singh MC (Retd.),
President,
Haryana State Ex-Services League.
9. Air Comdre M. S. Dandekar (Retd.),
President,
Maharashtra State Ex-Services League.
10. Brig. Nandagopal (Retd.),
President,
Tamil Nadu State Ex-Services League.
11. Brig. B. N. Upadhyay PVSM (Retd),
President,
Bihar State Ex-Services League.

The Additional Secretary in the Department of Pension and Pensioners' Welfare will function as the Convenor and Member Secretary of this Committee. The Government will have the power to associate such official members as may be considered necessary from time to time with the work of this Committee.

2. The term of office of the non-official members will be for a period of one year.

3. The Committee shall function to promote the following objectives;

(i) To provide a feedback on programme implementation of the Department.

(ii) To discuss and critically examine new policy initiatives.

(iii) To mobilise voluntary effort to supplement the Government action.

4. The Committee will hold its meetings as often as may be necessary.

5. TA and DA to non-official members for attending the meetings of the Committee shall be regulated in accordance with the provisions of S.R. 190 and orders of the Government of India thereunder as issued from time to time.

6. The expenditure involved will be met from within the sanctioned budget grant under the Major Head of Account 252, A-Secretariat General Services, A-1-Secretariat, A-1(1)-Department of Personnel & Training, A-1(1) (3)-Travel Expenses under Grant No. 75-Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions for the year 1986-87.

ORDER

Ordered that the Resolution be published in the Gazette of India.

Ordered also that a copy of the Resolution be communicated to all State Governments/Administrations of Union Territories, Ministries/Departments of the Government of India, the Fourth Central Pay Commission and all others concerned.

I. K. RASGOTRA
Additional Secretary

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS
DEPARTMENT OF PERSONNEL & TRAINING

New Delhi, the 3rd July 1986

OFFICE MEMORANDUM

Subject :—SENIORITY—Consolidated orders on

No. 22011/7/86-Estt(D).—The undersigned is directed to say that instructions have been issued by this Department from time to time laying down the principles for determining seniority of persons appointed to services and posts under the Central Government. For facility of reference, the important orders on the subject have been consolidated in this Office Memorandum. The number and date of the orginal communication has been quoted so that the users may refer to it to understand fully the context in which the order in question was issued.

SENIORITY OF DIRECT RECRUITS AND PROMOTEES

MHA OM No. 9/11/55-RPS dt. 22-12-59

2.1 The relative seniority of all direct recruits is determined by the order of merit in which they are selected for such appointment on the recommendations of the U.P.S.C. or other selecting authority, persons appointed as a result of an earlier selection being senior to those appointed as a result of subsequent selection.

2.2 Where promotions are made on the basis of selection by a D.P.C., the seniority of such promotees shall be in the order in which they are recommended for such promotion by the Committee. Where promotions are made on the basis of seniority, subject to the rejection of the unfit, the seniority of persons considered fit for promotion at the same time shall be the same as the relative seniority in the lower grade from which they are promoted. Where, however, a person is considered as unfit for promotion and is superseded by a junior such persons shall not if he is subsequently found suitable and promoted, take seniority in the higher grade over the junior persons who had superseded him.

2.3 Where persons recruited or promoted initially on a temporary basis are confirmed subsequently in an order different from the order of merit indicated at the time of their appointment, seniority shall follow the order of confirmation and not the orginal order of merit.

2.4.1 The relative seniority of direct recruits and of promotees shall be determined according to the rotation of vacancies between direct recruits and promotees which shall be based on the quota of vacancies reserved for direct recruitment and promotion respectively in the Recruitment Rules.

DPT OM No. 35014/2/80-Estt(D) dt. 7-2-86

2.4.2 If adequate number of direct recruits do not become available in any particular year, rotation of quotas for the purpose of determining seniority would take place only to the extent of the available direct recruits and the promotees. In other words, to the extent direct recruits are not available the promotees will be bunched together at the bottom of the seniority list below the last position upto which it is possible to determine seniority, on the basis of rotation of quotas with reference to the actual number of direct recruits who become available. The unfilled direct recruitment quota vacancies would however, be carried forward and added to the corresponding direct recruitment vacancies of the next year (and to subsequent years where necessary) for taking action for direct recruitment for the total number according to the usual practice. Thereafter in that year while seniority will be determined between direct recruits and promotees, to the extent of the number of vacancies for direct recruits and promotees as determined according to the quota for *that year*, the additional direct recruits selected against the carried forward vacancies of the previous year would be placed *en-bloc* below the last promotee (or direct recruit as the case may be), in the seniority list based on the rotation of vacancies for that year. The same principle holds good for determining seniority in the event of carry forward, if any, of direct recruitment or promotion quota vacancies (as the case may be) in the subsequent year.

ILLUSTRATION : Where the Recruitment Rules provide 50% of the vacancies of a grade to be filled by promotion and the remaining 50% by direct recruitment, and assuming there are ten vacancies in the grade arising in each of the years 1986 and 1987 and that two vacancies intended for direct recruitment remain unfilled during 1986 and they could be filled during 1987, the seniority position of the promotees and direct recruits of these two years will be as under :—

	1986		1987
1.	P1	9.	P1
2.	D1	10.	D1
3.	P2	11.	P2
4.	D2	12.	D2
5.	P3	13.	P3
6.	D3	14.	D3
7.	P4	15.	P4
8.	P5	16.	D4
		17.	P5
		18.	D5
		19.	D6
		20.	D7

2.4.3 In order to help the appointing authorities in determining the number of vacancies to be filled during a year under each of the methods of recruitment prescribed, a Vacancy Register giving a running account of the vacancies arising and being filled from year to year may be maintained in the proforma enclosed at the end.

2.4.4 With a view to curbing any tendency of under reporting/suppressing the vacancies to be notified to the concerned authorities for direct recruitment, it is clarified that promotees will be treated as regular only to the extent to which direct recruitment vacancies are reported to the recruiting authorities on the basis of the quotas prescribed in the relevant recruitment rules, Excess promotees, if any, exceeding the share failure to the promotion quota based on the corresponding figure, notified for direct recruitment would be treated only as *ad-hoc* promotees.

SENIORITY OF TRANSFEREES

MHA OM NO. 9/11/55-RPS dt. 22-12-1959

3.1 The relative seniority of persons appointed by transfer to a Central service from the subordinate offices of the Central Government or other departments of the Central or a State Government shall be determined in accordance with the order of their selection for such transfer.

3.2 Where such transfers are effected against specific quota prescribed in the Recruitment Rules, the relative seniority of such transferees vis-a-vis direct recruits or promotees shall be determined according to the rotation of vacancies which shall be based on the quota reserved for transfer, direct recruitment and promotion respectively in the Recruitment Rules. Where the vacancies in any quota or quotas are carried forward, the principles stated in para 2.4.2 will apply, *mutatis mutandis* in determining *inter-se* seniority of the appointees.

3.3 Where a person is appointed by transfer in accordance with the provisions in the Recruitment Rules providing for such transfer in the event of non-availability of suitable candidate by direct recruitment or promotion, such transferee shall be grouped with direct recruits or

promotees, as the case may be. He shall be ranked below all direct recruits or promotees, as the case may be, selected on the same occasion.

DP&T OM No. 20020/7/80-Estt(D) dated 29-5-1986

3.4.1 In the case of a person who is initially taken on deputation and absorbed later (i.e. where the relevant recruitment rules provide for "Transfer on deputation/ Transfer"), his seniority in the grade in which he is absorbed will normally be counted from the date of absorption. If he has, however, been holding already (on the date of absorption) the same or equivalent grade on regular basis in his parent department, such regular service in the grade shall also be taken into account in fixing his seniority, subject to the condition that he will be given seniority from—

— the date he has been holding the post on deputation,

(or)

— the date from which he has been appointed on a regular basis to the same or equivalent grade in his parent department.

whichever is later.

3.4.2 The fixation of seniority of a transferee in accordance with the above principle will not, however, effect any regular promotions to the next higher grade made prior to the date of such absorption. In other words, it will be operative only in filling up of vacancies in higher grade taking place after such absorption.

3.5 In cases in which transfers are not strictly in public interest, the transferred officers will be placed below all officers appointed regularly to the grade on the date of absorption.

SENIORITY IN SPECIAL TYPES OF CASES

MHA OM No. 37/1/52-DGS dated 10-7-54, OM No. 13/4/56-RPS dt. 29-9-56 & No. 13/4ff57-RPS dt. 14-7-58.

4.1 In the case of such *ex-T.B. or ex-Pleurisy ex-Leprosy patients*, as have been declared non-infective and medically fit for Government service, on re-employment in the same posts from which they were discharged the actual previous service rendered by them should be counted for seniority. The seniority of such persons re-employed in other posts will be fixed in consultation with the Department of Personnel and Training.

MHA OM No. 9/13/62-Estt(D) dt. 10-10-62 & OM No. 9/30/63-Estt(D) Dt. 7-2-64.

4.2.1 An order imposing the penalty of *reduction to a lower service, grade or post or to a lower time-scale* should invariably specify :—

(i) the period of reduction, unless the clear intension is that the reduction should be permanent or for an indefinite period;

(ii) Whether on such repromotion, the Government servant will regain his original seniority in the higher service, grade or post or higher time-scale which had been assigned to him prior to the imposition of the penalty.

4.2.2 In cases where the reduction is for a specified period and is not to operate to postpone future increments, the seniority of the Government servant may, unless the terms of the order of punishment provide otherwise, be fixed in the higher service, grade or post or the higher time scale at what it would have been but for his reduction.

4.2.3 Where the reduction is for a specific period and is to operate to postpone future increments, the seniority of the Government servant on repromotion may, unless the terms of the order of punishment provide otherwise, be fixed by giving credit for the period of service rendered by him in the higher service, grade or post or higher time-scale.

MHA OM No. 3/27/65-CS. II dt. 25-2-66 & OM No. 9/22/68-Estt(D) & 6-2-69.

4.3.1 The surplus employees are not entitled for benefit of the past service rendered in the previous organisation for the purpose of their seniority in the new organisation. Such employees are to be treated as fresh entrants in the matter of their seniority, promotions etc.

4.3.2 When two or more surplus employees of a particular grade in an office are selected on different dates for absorption in a grade in another office, their inter-se seniority in the latter office will be same as in their previous office provided that—

(i) no direct recruit has been selected for appointment to that grade in between these dates; and

(ii) if there are no fixed quotas for direct recruitment and promotion to the grade in question in the new office and no promotee has been approved for appointment to that grade in between these dates.

4.3.3 When two or more surplus employees of a particular grade in an office are simultaneously selected for redeployment in another office in a grade, their inter-se seniority in the particular grade, on redeployment in the later office, would be the same as it was in their previous office.

4.3.4 The above orders would not be applicable in respect of personnel who are appointed on the recommendations of the U.P.S.C. to pos's/services recruitment to which is made through the Commission. Seniority of surplus officers appointed on the recommendations of the Commission will be decided on merits in consultation with the Commission.

5. It is requested that these instructions may be brought to the notice of all administrative authorities for information guidance and compliance.

K. S. R. KRISHNA RAO, Dy. Secy.

VACANCY REGISTER

	1986	1987	1988	ETC.
1. Total number of vacancies arising during the year				
2. DIRECT RECRUITMENT				
(i) No. of vacancies to be filled:				
(a) vacancies of the year (as per quota prescribed).				
(b) vacancies of the previous year (s) brought forward				
(c) Total				
(ii) No. of vacancies actually fillled				
(iii) No. of vacancies carried forward				
3. BY PROMOTION				
(i) No. of vacancies to be filled				
(a) vacancies of the year (as per quota prescribed).				
(b) vacancies of previous year(s) brought forward.				
(c) Total				
(ii) No. of vacancies actually filled.				
(iii) No. of vacancies carried forward				

Note 1 :—The methods of recruitment mentioned above are only illustrative; those prescribed in the relevant recruitment rules will be reflected in this Register.

Note 2 :—In the cadres in which the yearly vacancies are sufficient in number to be amenable for division as per the prescribed quotas, it is considered that maintenance of this Register alone will be adequate. In smaller cadres, however, where the number of vacancies arising is somewhat occassional and one or two in a year, the appointing authorities may have to maintain the recruitment roster, as at present, to be clear about the method under which a particular vacancy has to be filled.

MINISTRY OF PETROLEUM & NATURAL GAS

New Delhi, the 22nd July 1986

RESOLUTION

No. J-13013/2/85-GEN.—In supersession of this Ministry' Resolution No. J-13013/2/85 Gen. dated the 9th July, 1985, the Committee on Environmental Planning and Coordination for the Ministry of Petroleum and Natural Gas has been reconstituted as under :—

Convenor

1. Shri Paritosh C. Tyagi,
Chairman,
Central Board for the Prevention and Control of Water Pollution,
6th Floor, Skylark Building,
60-Nehru Place, NEW DELHI-110019.

Memebrs

2. Dr. Milay Chaudhuri, Ex-Chairman,
Central Board for the Prevention and Control of Water Pollution.
NEW DELHI.
3. Dr. P. K. Ray, Director,
Industrial Toxicology Research Centre,
LUCKNOW.
4. Dr. C.K. Varshney, Associate Professor-
School of Environmental Sciences,
Jawaharlal Nehru University,
NEW DELHI.
5. Dr. A.K. Ganguly, Harshanath,
1-Saras Baug, Deonar,
BOMBAY-400088.
6. Shri Shyam Chainani, Hony. Secretary,
Bombay Environment Action Group,
BOMBAY.
7. Shri T. R. Saranathan,
Socleen, BOMBAY.
8. The Director. National Environmental-
Engineering Research Institute,
NAGPUR.
9. Shri D. K. Biswas, Director,
Department of Enviroment,
NEW DELHI.
10. Shri S. K. Das, Director General of Meteorology,
NEW DELHI.
11. Professor. A. R. Zafar, Professor of Botony,-Osmania University,
HYDERABAD-500007.
12. The Chairman,
Adviserv Board on Energy,
NEW DELHI.

2. Secretary, Joint Secretaries and Advisers in the Ministry of Petroleum & Natural Gas will be permanent invitees to the Committee Meetings. The Convenor may also invite any other person (s) to attend the meeting of the Committee or to assist the Committee.

3. The terms of reference of the Committee will be as under :—

"Advise on all aspects of Environmental Planning for Schemes and Programmes of the Ministry of Petroleum and Natural Gas."

4. No remuneration will be paid to the members of the Committee However, the expenditure on TA/DA of the non-official members will be met by the Government of India. TA/DA on Government Officials representatives of Central Public Sector Undertakings will be met by the concerned Departments/Undertakings. The expenditure on the Committee will be borne by the Oil Industry Development Board.

5. The term of the Committee will be for a period of 2 years, from date of this Resolution. The Committee shall meet as often as necessary and will make suitable recommendations to the Government in the Ministry of Petroleum & Natural Gas from time to time.

6. The Secretarial assistance repuired for the Committee will be provided by the Ministry of Petroleum & Natural Gas.

ORDER

ORDERED that copy of the Resolution be communicated to all the State Governments, Union Territory Administrations, Lok Sabha and Rajya Sabha Secretariat and the concerned Ministries and Departments of the Government of India.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

T. N. R. RAO, Jt. Secy.

MINISTRY OF INDUSTRY

DEPTT. OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT

(EIM SECTION)

New Delhi, the 4th August 1986

CORRIGENDUM

(Constitution of a Panel for the Steel Castings Industry)

No. 13026(41) '84-EIM.—In partial modification of this this Ministry's resolution dated the 17-1-85 constituting the Panel for Steel Castings, Shri A. V. Gokak, Joint Secretary in this Department has been appointed as Chairman of the Panel in Place of Shri S. C. Dhingra, appearing against S. No. 1. The aforsesaid resolution may be deemed to be amended to the extent cited below :—

FOR

1. Shri S. C. Dhingra,
Adviser (Teach.) &
Ex-Officio Join Secretary,
Department of Heavy Industry,
Ministry of Industry,
New Delhi.

READ

Shri A. V. Gokak,
Joint Secretary,
Department of Industrial Development,
Ministry of Industry,
New Delhi.

CHITRA GUPTA, Under Secy.

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

DEPARTMENT OF FAMILY WELFARE

New Delhi, the 29th July, 1986

CORRIGENDUM

No. R-17011/34/85-C&G.—In Resolution No. 17011/34/85-C&G dated 17th June, 1986.

For the name "Dr. (Ms.) Raini Behn" occuring at Serial 1986. For the name "Dr. (Ms.) Raini Behn" occuring at Serial No. 6 please read "Dr. (Ms.) Ragini Behn".

Entries against Sl. No. 8 and 11 thereof please be substituted by the following :—

Sl. No. 8 Smt. Rami Chhabra

ex-office Member
Adviser (Mass Media & Commiunication)
Ministry of Health and Family Welfare

Sl. No. 11 Shri Palat Mohandas—Convenor & Member Secretary—Joint Secretary.
Ministry of Health and Family Welfare

ORDER

Ordered that a copy of the Corrigendum be communicated to all State Governments U.Ts. and that the Corrigendum may be published in the Gazette of India for general information.

PALAT MOHANDAS, Jt. Secy.

MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT
(DEPARTMENT OF CULTURE)
(ARCHAEOLOGY)

New Delhi, the 23rd July 1986

No. 23/27/82-EE.—The Archaeological Museum in the Mattancherry Palace, Cochin will remain open to the public on all days except Fridays from 10 a.m. to 5 p.m. The orders will come into force from 1-9-1986.

M. S. NAGARAJA RAO,
Director General

ARCHAEOLOGICAL SURVEY OF INDIA

New Delhi, the 1st August 1986

No. 10/3/86-M.—In exercise of powers conferred under rule 4 of the Ancient Movements and Archaeological Sites and Remains Rules, 1959, I, M.D. Khare, Director (Monuments), hereby direct that the Archaeological Area, Red Fort, Delhi will remain closed to the visitors on 13th and 14th August, 1986, whole day and upto 12.00 hours on 15th August.

M. D. KHARE,
Director (Monuments)

MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT

New Delhi, the 17th July 1986

RESOLUTION

Subject :—Scientific Advisory Committee of the Ministry of Urban Development—Constitution of.

No. F-20016/5/86-Coord.—The Government has approved the Constitution of Scientific Advisory Committee for the Ministry of Urban Development with the following members :—

Chairman

1. Shri Ramesh Chandra.
Secretary,
Ministry of Urban Development,
New Delhi.

Members

2. Dr. R. K. Bhandari,
Director,
Central Building Research
Institute,
Roorkee247667 (U.P.)

3. Shri K.R. Bulusu,
Director (Acting),
National Environmental
Engineering Research Institute,
Nehru Marg,
Nagpur-440020.

4. Dr. S. P. Sharma,
Director,
Structural Engineering
Research Centre,
Roorkee (U.P.)

5. Shri G. S. Rao,
Director General,
Central Public Works
Department, Nirman Bhawan,
New Delhi-110011.

6. Member (Engineering),
Delhi Development Authority
New Delhi.

7. Shri E. F. N. Ribeiro,
Chief Planner,
Town & Country Planning
Organisation, Indra Prastha
Estate, New Delhi-110002.

8. Shri V. Venugopalan,
Adviser, Central Public Health &
Environmental Engineering
Organisation, Ministry of Urban
Development, Nirman Bhawan,
New Delhi.

9. Shri G. C. Mathur,
Director,
National Buildings Organisation,
Nirman Bhawan, New Delhi.

Member-Secretary and Convenor

2. The functions of the Committee will be as follows :—

(i) to advise on development of integrated and coordinated scientific and technological programmes of the Ministry and to take steps for a systematic interaction amongst the users and the Research and Development institutions concerned with the activities of the Ministry;

(ii) to advise on policies and programmes to develop indigenous capabilities in scientific and technological research;

(iii) to evolve short-term and long-term objectives and plans for upgradation of technology in areas related to the business of the Ministry;

(iv) to advise on measures for technology absorption, adaptation and improvement in a planned manner;

(v) to advise on technological inputs which would improve productivity, quality and reliability of products or services and reduce costs, in areas relevant to the Ministry.

(vi) to recommend, where possible, specific support for scientific research and technology development to institutions or to investigators;

(vii) to examine any other matter related to science and technology which may be referred to the Committee by the Government for advice.

3. The term of the members of the Committee will be for a period of two years from the date of issue of the resolution, Official members will be the members of the Committee as long as they hold their respective posts.

4. The Committee will devise its own procedures to regulate its working and for the effective discharge of its functions. The Committee will meet as often as deemed necessary and could also set up sub-committees to examine and report to it on specific issues and make suitable recommendations from time to time.

5. No remuneration will be paid to the Members of the Committee. However, expenditure on Travelling Allowance and Dearness Allowance of non-official members incurred in connection with the work of the Committee will be met from the budget of the Ministry and regulated in accordance with the relevant rules. For this purpose, members will be treated as Grade I officers of the Government of India. Travelling Allowance, Dearness Allowance of official members will be met from the budget of the respective department/institution in which they may be serving.

ORDER

Ordered that a copy of the Resolution be communicated to all the State Governments, Union Territory Administrations, Lok Sabha and Rajya Sabha Secretariats and the concerned Ministries and Departments of the Government of India.

Ordered also that Resolution be published in the Gazette of Inida for general informatoin.

SMT. J. KHANNA, Jt. Secy.

MINISTRY OF LABOUR

New Delhi, the 5th August 1986

No. Q-16011/3/85-WE.—In pursuance or Rule 3(ii) read with Rule. 4(iii) of the Rules and Regulations of the Central Board for Workers Education, the Government of India hereby appoint Smt. Janaki Kathpalia, Joint Secretary, Ministry of Finance (Deptt. of Expenditure), Govt. of India, as a member on the Central Board for Workers Education in place of Shri M. L. Majumdar, Joint Secretary, Ministry of Finance (Deptt. of Expenditure), Govt. of India with effect from 8th July, 1986.

The following changes, shall, accordingly, be made in the Ministry of Labour Notification No. Q-16012/3/79-WE dated the 8th/15th May, 1981, as amended from time to time.

For the existing entry viz :—

"1. Shri M. L. Majumdar,
Joint Secretary,
Ministry of Finance,
(Deptt. of Expenditure)
Govt. of India, New Delhi.

The following entry shall be substituted :—

"1. Smt. Janaki Kathpalia,
Joint Secretary,
Ministry of Finance,
(Deptt. of Expenditure)
Govt. of India, New Delhi.

No. Q-16011/3/85-WE.—In pursuance of Rule-8 of the Rules and Regulations of the Central Board for Workers Education, the Government of India hereby nominate Smt. Janaki Kathpalia, Joint Secretary, Ministry of Finance, Govt of India, as a member of the Governing Body of the Central Board for Workers Education vice Shri M. L. Majumdar, Joint Secretary, Ministry of Finance. (Deptt of Expenditure) Govt. of India, with effect from 8th July, 1986.

R. N. PURI, Dy. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS DELHI, 1986